Kg. vide notification dated 25.11.93. As per DPCO, 1995, it is outside the perview of price control. Also, this drug is delicensed, vide Press Note No. 4 (1994 series) dated 25.10.94 consequent to announcement of "Modificaitons in Drug Policy, 1986 in September, 1994.

सिंचाई परियोजनाओं की तुलनात्मक लागत संबंधी अनुमान

*285. **श्री जनार्दन यादव:** क्या **जल संसाधन** मंत्री 01 दिसमबर, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 651 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में लघु सिंचाई परियोजनाओं पर प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा करने के मामले में अपेक्षाकृत कम लागत आती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) लघु (माइनर) सिंचाई परियोजनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं— धरातलीय जल आधारित और भूजल आधारित। लघु धरातलीय सिंचाई योजनाएं बड़ी और मझौली परियोजनाओं की तुलना में प्रति हेक्टेयर लागत के हिसाब से अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। भूजल आधारित सिंचाई परियोजनाएं अपेक्षाकृत सस्ती, हो सकती हैं यदि उनके केवल सीधे निवेश पर विचार किया जाए। तथापि, यदि नलकूपों/पंपसेटों को ऊर्जित करने की निवेश लागत और प्रचालन एवं रखरखाव लागतों को ध्यान में रखा जाता है तो ये योजनाएं भी बड़ी एवं मझौली परियोजनाओं की तुलना में कम लागत की साबित नहीं होती।

Consultation with State Governments for Banning the use of Pesticides

*286. **SHRI YERRA NARAYANASWAMY:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have consulted State Governments on the issue of banning the use of some pesticides in agricultural operations;

(b) if so, the details of this consultative machinery;

(c) the frequency of consultations with State Governments in this regard; and

(d) the weightage given to the views of State Governments on the banning of any pesticides in agricultural operations?

THE Minister of Agriculture (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Expert Committees constituted by the Government during 1984 and 1989 for the review of pesticides had amongst others invited views from the State Governments.

(d) The Committee had given due consideration to the views of State Governments.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना

*287. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की एक योजना लागू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में केवल तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। जबकि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी क्रमशः लगभग एक करोड़ और डेढ़ करोड़ है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आवश्यकता के अनुसार और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) आदिवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए तीन योजनाएं हैं:

(1) आदिवासी युवकों के लिए वर्ष 1992-93 में आरम्भ की गई आदिवासी

क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना जिसके अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में सहायता की योजना जिसके अन्तर्गत कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(3) कोचिंग और सम्बद्ध योजना जिसके अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त योजना सं० (1) के अन्तर्गत बजटीय सीमाओं के कारण 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की मांग के मुकाबले में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को आदिवासी युवकों हेतु तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मंजूर किए गए थे। योजना सं० (2) के अन्तर्गत राज्य में 18 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

योजना से (3) के अन्तर्गत राज्य में 10 कोचिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ग) आदिवासी युवकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना में मध्य प्रदेश से कार्यान्वयन रिपोर्ट के अभाव में 1993-94 के बाद कोई और अनुदान नहीं दिया गया है।

योजना सं० (2) के अन्तर्गत प्रस्तावों पर तब विचार किया जाता है जब कभी राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को प्रयोजित करती है।

Equal Participation by Women in Decision Making

*288. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the National Policy of Women has stressed the need for positive affirmative action for Women's equal participation at all levels of decision making;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether National Policy of Women provides for equal enjoyment of equal rights by women over productive resources, education, health etc.;

(d) whether such a Policy is final;

(e) whether all possible steps have been taken to implement this Policy; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (f) Does not arise, since the details of proposed National Policy on Women are yet to be finalised.

Setting up of Kendriya Sanskrit Vidyapeeth; in Himachal Pradesh

*289. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, has approved the setting up of a Kendriya Sanskrit Vidyapeeth in Kangra Distt. of Himachal Pradesh on the demand of that state;

(b) if so, when the Governing Body of the Sansthan accorded the approval;

(c) whether this Vidyapeeth has started functioning; and

(d) if not, the reasons for delay and the date on which the Government of Himachal Pradesh submitted the request to the Central Government?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, sir.

(b) the proposal for setting up a Kendriya Sanskrit Vidyapeetha in Himachal Pradesh was approved by the Governing Body of Rashtriya Sanskrit Sansthan in its meeting held on 24-5-1995.

(c) No, sir.

(d) The Govt. of Himachal Pradesh